भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेवजयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं०- 8 बी/यू.सी.पी./06/66/2023/एफ.सी. दिनांक:**As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.000 से किमी0 20.600 तक के मौजूदा सड़क को चार लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021).**

सन्दर्भः- कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,उत्तराखण्ड का पत्रांक – 903/12-1 दिनांक 05.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.03.2024 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख / दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. The Proposal diversion area falls in Elephant corridor and ESZ of Rajaji National Park. (only 500m away) In this regard the para-12.6 of Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules 2023 stated that:-

   Prior recommendation of Standing Committee of NBWL under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained, if required, for taking developmental activities in/over an area falling within eco-sensitive zones (10 km if ESZ is not notified and listed) around notified PAs in addition to prior approval of diversion of forest land for non-forest purposes if such area involved is forest land.

   So the user agency shall obtain approval from competent authority as per above said rules.

2. The user agency shall submit proper wildlife mitigation plan with amount details, which shall certified by competent authority.

3. The Site Inspection Report (SIR) of DFO is required in attached format.

उपरोक्त के क्रम मे जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

Signed by Neelima Shah
Date: 27-09-2024 17:00:23

भवदीया

(नीलिमा शाह भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन(केंद्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ: अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहारादून, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।